

5166

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांक 1058/एस0टी0/43/2025-26

सी धर्म-ई

दिनांक 26/02/2026

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

B.S.A
26/2/26

विषय :- कक्षा-नर्सरी से कक्षा-05 तक तथा कक्षा-06 से कक्षा-08 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता हेतु आवेदन करने के लिये विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र के संबंध में।

कृ० उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या- मान्यता/19496-98/2025-26 दि० 04.02.2026 के द्वारा प्रबन्धक, देहली पब्लिक स्कूल, ग्राम कुचावली, कौठ रोड, वि०ख० छजलैट, जि० मुरादाबाद का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश सं०-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश सं०-64/अडसठ-3-2021-840/2020 दि० 11.02.2021 के क्रम में विद्यालय भवन को कक्षा-नर्सरी से कक्षा-05 तक तथा कक्षा-06 से कक्षा-08 तक के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड एन०बी०सी० प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र सं०-1002/एस०टी०/2025-26 दि० 10-02-2026 के द्वारा अधि० अभि०, ग्रा०अ०वि०, मुरादाबाद से उक्त विद्यालय का शासनादेश दि० 11-01-2019 के प्रस्तर-17 के क्रम में स्थलीय निरीक्षण कराया गया। उक्त क्रम में अधि० अभि०, ग्रा०अ०वि०, मुरादाबाद ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-1502/ग्रा०अ०वि०/आशु०/एन०बी०सी० प्रमाण पत्र/2025-26 दि० 12-02-2026 के द्वारा उक्त विद्यालय भवन एन०बी०सी० प्रमाण पत्र चैक लिस्ट सहित उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त क्रम में अधि० अभि०, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक, देहली पब्लिक स्कूल, ग्राम कुचावली, कौठ रोड, वि०ख० छजलैट, जि० मुरादाबाद के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया एन०बी०सी० प्रमाण पत्र आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि-प्रबन्धक, देहली पब्लिक स्कूल, ग्राम कुचावली, कौठ रोड, वि०ख० छजलैट, जि० मुरादाबाद (मो०नं०-7748800990) को सूचनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

प्रेषक

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड मुरादाबाद।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
मुरादाबाद।

5441 सं 342
13/2/26

पत्रांक 1502 / ग्रा0अ0वि0 / आशु0 / एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र / 2025-26 दिनांक 12-02-26
महोदय

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1002/एस0टी0/43/2025-26 दिनांक 10.02.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा DELHI PUBLIC SCHOOL ग्राम कुचावली, कांठ रोड, विकास खण्ड छजलैट, जिला मुरादाबाद नर्सरी से कक्षा-5 तथा कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की मान्यता हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि DELHI PUBLIC SCHOOL ग्राम कुचावली, कांठ रोड, विकास खण्ड छजलैट, जिला मुरादाबाद का एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र चैकलिस्ट सहित मूल रूप में संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

ST

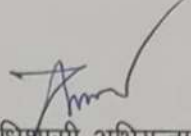
13.2.26

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड मुरादाबाद।

प्रमाण-पत्र

मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद के कार्यालय पत्रांक 1002/एस0टी0/43/2025-26 दिनांक 10.02.2026 के क्रम में DELHI PUBLIC SCHOOL ग्राम कुचावली, कांठ रोड, विकास खण्ड छजलैट, जिला मुरादाबाद के विद्यालय भवन के सुरक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया विद्यालय भवन बाह्य रूप से देखने पर नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 सुरक्षामानकों के अनुरूप है।


अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड मुरादाबाद।

बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेक लिस्ट

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल-प्रथम तल) भवनों हेतु चेक लिस्ट

विद्यालय का नाम:- Delhi Public School, ग्राम कुचावली, मंड रोड, मुसादाबाद।

सन्दर्भ:-शासनादेश संख्या-2203/70-5-2009 शिक्षा (5) अनुभाग, 3090 शासन, तत्पश्चात्
दिनांक 25-09-2009

क्र.सं.
क्र.सं.

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु

जीव आख्या

- 1 भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?
- 2 क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है ?
- 3 क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ?
- 4 क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?
- 5 क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है ?
- 6 क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नहीं, तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?
- 7 क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट से बनी है ?
- 8 क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?
- 9 क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श में न्यूनतम 3.6 मी (ठण्डे क्षेत्रों में 3.00 मी0) है ?
- 10 क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है ?
- 11 क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?
- 12 क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?
- 13 क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है ?
- 14 क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा साइडर 150 मिमी0 है ?
- 15 क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है ?
- 16 क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?
- 17 क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?
- 18 क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं ?
- 19 क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वटीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी0 है ?
- 20 क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वटीकल ऊँचाई 3.70 मी0 है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मी0 है ?
- 21 क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं ?

03 मंजिला

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

हां

नहीं है

सही प्रकार है

नये उपकरण

सही प्रकार है

सही प्रकार है

अध्यापक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त विभाग
प्रखण्ड मुसादाबाद